भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 260

उत्तर देने की तारीख 24 जून, 2019

सोमवार, 03 □ षाढ़, 1941 (शक)

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

260. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः **डॉ. सुभाष रामराव भामरेः**
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः **श्री कुलदीप राय शर्माः**
डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः **श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः**

क्या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों, उपलब्धियां/की गई प्रगति का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या ह□

(ख) उक्त योजना के लिए आबंटित/जारी और उपयोग की गई निधियां का ब्यौरा क्या ह□और गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इसके अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने व्यक्ति लाभान्वित/प्रशिक्षित हुए हैं;

(ग) वर्तमान में देश में योजना के अंतर्गत प्रचालित कौशल विकास केंद्रों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या ह□

(घ) क्या केंद सरकार का विचार देश के प्रत्येक जिले में उक्त योजना के अंतर्गत ऐसे केंद्र खोलने का ह□और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या ह□

(ङ) क्या सरकार ने उक्त योजना की कमियों का पता लगाने के लिए इसकी समीक्षा की ह□ और इसके अंतर्गत कितने व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ ह□और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या ह□ और

(च) उक्त योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए इसे और अध्कि प्रभावी बनाने हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री □ र. के. सिंह)

(क) और (ख) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 12,000 करोड़ रूपए के परिव्यय से देश में अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी), पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) तथा विशेष परियोजना के तहत एक करोड़ भावी युवाओं को

कौशलीकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) नामक एक महत्वकांक्षी स्कीम का चार वर्षों अर्थात 2016-20 के लिए कार्यान्वयन कर रहा ह॥ पीएमकेवीवाई के दो घटक हैं जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएस□सी) द्वारा संचालित केंद्रीय प्रायोजित केंद्रीय प्रबंधित (सीएससीएम) घटक और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य कौशल विकास मिशनों द्वारा संचालित केंद्रीय प्रायोजित राज्य प्रबंधित घटक, जिसे आमतौर पर पीएमकेवीवाई (2016-20) के राज्य प्रबंधित घटक के नाम से जाना जाता ह□ कहलाते हैं।

पीएमकेवीवाई 2016-20 स्कीम के अंतर्गत 12.06.2019 की स्थिति के अनुसार देश में एसटीटी तथा आरपीएल के अंतर्गत (31.08 लाख एसटीटी + 21.04 आरपीएल) 52.12 लाख (लगभग) उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया ह॥ प्रशिक्षित उम्मीदवारों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-।** में दिया गया ह॥

पीएमकेवीवाई 2016-20 के सीएससीएम घटक अंतर्गत राज्य-वार निधि आबंटन का कोई प्रावधान नहीं ह॥ 12.06.2019 की स्थिति के अनुसार, समूचे देश में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी (अर्थात एनएस□सी) को 3,987.16 करोड़ रूपए की धनराशि संवितरण किया गया ह॥ हालांकि, पीएमकेवीवाई 2016-20 के सीएसएसएम घटक के अंतर्गत निधियां और इतने ही भौतिक लक्ष्य राज्य कौशल विकास मिशनों के माध्यम से स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को आबंटित किए गए हैं। 12.06.2019 की स्थिति के अनुसार, पीएमकेवीवाई 2016-20 के सीएसएसएम घटक के अंतर्गत संवितरित की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-।।** में दिया गया ह॥

(ग) और (घ) पीएमकेवीवाई 2016-20 में कौशल विकास केंद्रों की स्थापना का प्रावधान नहीं ह□ परंतु प्रत्यायित तथा संबद्ध प्रशिक्षण केंद्रों (टीसी) के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया ह॥ स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्रों का प्रत्यायन और संबद्धता स्मार्ट नामक एकल खिड़की आईटी अनुप्रयोग के माध्यम से की जाती ह॥ पीएमकेवीवाई 2016-20 स्कीम के अंतर्गत 12.06.2019 की स्थिति के अनुसार 12,127 प्रशिक्षण केंद्रों को सूचीबद्ध किया गया ह॥

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय पीएमकेवीवाई 2016-20 के माध्यम से प्रत्येक जिले में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके) नामक मॉ□ल तथा आकांक्षीय कौशल केंद्रों की स्थापना का भी संवर्धन करता ह॥ देश के 717 जिलों तथा 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अब तक 837 पीएमकेके आबंटित किए जा चुके हैं। आबंटित पीएमकेके में से 610 पीएमकेके पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं।

पीएमकेवीवाई 2016-20 के अंतर्गत सूचीबद्ध प्रशिक्षण केंद्रों तथा स्थापित पीएमकेके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुबंध-।।।** में दी गई ह॥

(ङ.) तथा (च) स्कीम का मूल्यांकन जारी है तथा परिणामस्वरूप सुधार किए जा रहे हैं। इसके अलावा, एमएसडीई ने स्कीम के बेहतर कार्यान्वयन जैसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, प्रशिक्षकों और प्रशिक्षार्थियों की आधार संबद्धता, उम्मीदवारों तथा प्रशिक्षकों की आधार समर्थित बॉयोमीट्रिक उपस्थिति, उम्मीदवारों के दोहरेपन की जांच करने के लिए एसडीएमएस पोर्टल के जरिए समस्त एमआईएस का रख-रखाव के लिए विभिन्न मापदंड तथा हस्तक्षेप सुनिश्चित किए गए हैं। इसके अलावा, पीएमकेवीवाई 2016-2020 के दिशा-निर्देशों में प्रशिक्षण केंद्रों के निष्पादन पर निगरानी रखने के साथ-साथ निरंतर निगरानी रखने से संबंधित विभिन्न प्रावधान हैं। इस स्कीम के अंतर्गत गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों का प्रत्यायन और संबद्धता स्वतंत्र तृतीय पक्ष आकलन एजेंसी द्वारा निरीक्षण करने के साथ एक ऑनलाइन पोर्टल **स्मार्ट** के माध्यम से की जाती है। उन्नत प्रत्यायन प्रक्रिया के अलावा एमएसडीई ने विभिन्न चेनलों के जरिए लगातार निगरानी रखने और प्रत्येक वर्ष अनिवार्य पुन: प्रत्यायन की प्रक्रिया प्रारंभ की है। इसके अंतर्गत स्व-लेखा परीक्षा सूचना, कॉल वैधीकरण, औचक निरीक्षण और कौशल विकास प्रबंधन प्रणाली (एसडीएमएस) के जरिए निगरानी की प्रक्रिया अपनाई गई है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण केंद्रों के लिए लक्ष्य निर्धारण के साथ उनकी आवधिक समीक्षा का प्रावधान किया जा रहा है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता, अवसंरचना की उपलब्धता, प्रशिक्षण क्षमता, पूर्व निष्पादन, भौगोलिक अवस्थिति और अन्य संगत प्राचलों के लिए ग्रेडिंग की व्यवस्था की गई है।

इसके अलावा, पीएमकेवीवाई 2016-20 स्कीम में तैनाती की निगरानी का अनिवार्य प्रावधान है। प्रशिक्षित उम्मीदवारों के प्रमाणन के 90 दिनों के भीतर तैनाती आंकड़े कौशल विकास प्रबंधन प्रणाली (एसडीएमएस) पर सूचित किए जाते हैं। 12.06.2019 की स्थिति के अनुसार, एसडीएमएस पर सूचित किए गए आंकड़ों के तहत पीएमकेवीवाई 2016-20 के एसटीटी के अंतर्गत 24.56 लाख उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। 90 दिन पूर्व अर्थात् 14.03.2019 की स्थिति के अनुसार पीएमकेवीवाई के एसटीटी के अंतर्गत प्रमाणित किए गए उम्मीदवारों की संख्या 23.28 लाख है। इन उम्मीदवारों में से, 12.06.2019 की स्थिति के अनुसार 12.6 लाख उम्मीदवारों को विभिन्न सेक्टरों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है, जो प्रमाणित उम्मीदवारों का 54.12 प्रतिशत (लगभग) है।

अनुबंध-I

12.06.2019 की स्थिति के अनुसार, प्रशिक्षित उम्मीदवारों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**प्रशिक्षित (एसटीटी + □ रपीएल)**
1.	अं□मान और निकोबार द्वीप	215
2.	आंध्र प्रदेश	150605
3.	अरुणाचल प्रदेश	9636
4.	असम	136476
5.	बिहार	233947
6.	चं□ीगढ़	9917
7.	छत्तीसगढ़	74225
8.	दादरा और नगर हवेली	2426
9.	दमन और दीव	2566
10.	दिल्ली	199831
11.	गोवा	3495
12.	गुजरात	157099
13.	हरियाणा	356993
14.	हिमाचल प्रदेश	55766
15.	जम्मू और कश्मीर	111547
16.	झारखं□	92610
17.	कर्नाटक	235715
18.	केरल	126341
19.	मध्य प्रदेश	389233
20.	महाराष्ट्र	347831
21.	मणिपुर	21525
22.	मेघालय	14325
23.	मिजोरम	5662
24.	नागालैं□	4595
25.	ओ□िशा	190857
26.	पु□ुचेरी	12584
27.	पंजाब	190606
28.	राजस्थान	418121
29.	सिक्किम	4050
30.	तमिलना□ु	351551
31.	तेलंगाना	176216
32.	त्रिपुरा	24351
33.	उत्तर प्रदेश	793816
34.	उत्तराखं□	89207
35.	पश्चिम बंगाल	217990
सकल योग		**5211930**

अनुबंध-II

12.06.2019 की स्थिति के अनुसार, पीएमकेवीवाई 2016-20 के सीएसएसएम घटक के अंतर्गत संवितरित की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी धनराशि
1	अं□मान और निकोबार द्वीप समूह	2,10,78,767
2	आंध्र प्रदेश	28,84,26,464
3	अरुणाचल प्रदेश	7,21,32,216
4	असम	36,95,32,800
5	बिहार	36,81,62,449
6	चं□ीगढ़	6,15,88,800
7	छत्तीसगढ़	35,57,76,000
8	दादरा और नगर हवेली	1,10,85,984
9	दमन और दीव	3,00,24,540
10	दिल्ली	15,39,72,000
11	गोवा	10,70,25,937
12	गुजरात	35,94,93,826
13	हरियाणा	21,56,99,375
14	हिमाचल प्रदेश	21,55,60,800
15	जम्मू और कश्मीर	22,94,18,280
16	झारखं□	29,59,64,978
17	कर्नाटक	21,43,95,135
18	केरल	22,00,25,988
19	लक्षद्वीप	1,23,17,760
20	मध्य प्रदेश	21,46,66,296
21	महाराष्ट्र	85,77,62,615
22	मणिपुर	24,99,88,939
23	मेघालय	12,77,96,760
24	मिजोरम	10,88,73,601
25	नागालैं□	16,94,76,980
26	ओ□ीशा	27,71,49,600
27	पु□ुचेरी	2,59,55,280
28	पंजाब	26,39,52,000
29	राजस्थान	14,19,35,789
30	सिक्किम	2,00,16,360
31	तमिलना□ु	34,43,10,720
32	तेलंगाना	22,94,64,472
33	त्रिपुरा	8,37,68,100
34	उत्तर प्रदेश	52,26,00,000
35	उत्तराखं□	20,32,43,040
36	पश्चिम बंगाल	38,04,64,812
सकल योग		**7,82,31,07,463**

अनुबंध-III

12.06.2019 की स्थिति के अनुसार, पीएमकेवीवाई 2016-20 के अंतर्गत सूचीबद्ध प्रशिक्षण केंद्रों तथा स्थापित पीएमकेके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या नीचे दी गई है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सूचीबद्ध टीसी	स्थापित पीएमकेके
1.	अं□मान और निकोबार द्वीप समूह	6	1
2.	आंध्र प्रदेश	351	21
3.	अरुणाचल प्रदेश	45	0
4.	असम	280	20
5.	बिहार	424	43
6.	चं□ीगढ़	37	1
7.	छत्तीसगढ़	162	26
8.	दादरा और नगर हवेली	6	1
9.	दमन और दीव	11	1
10.	दिल्ली	344	6
11.	गोवा	18	1
12.	गुजरात	358	32
13.	हरियाणा	1003	23
14.	हिमाचल प्रदेश	224	10
15.	जम्मू और कश्मीर	343	12
16.	झारखं□	145	22
17.	कर्नाटक	205	34
18.	केरल	241	9
19.	लक्षद्वीप	0	0
20.	मध्य प्रदेश	899	45
21.	महाराष्ट्र	469	34
22.	मणिपुर	73	4
23.	मेघालय	37	3
24.	मिजोरम	61	0
25.	नागालैं□	35	2
26.	ओ□िशा	339	25
27.	पु□ुचेरी	37	1
28.	पंजाब	637	24
29.	राजस्थान	1324	33
30.	सिक्किम	28	0
31.	तमिलना□ु	888	28
32.	तेलंगाना	369	16
33.	त्रिपुरा	126	2
34.	उत्तर प्रदेश	1988	76
35.	उत्तराखं□	238	13
36.	पश्चिम बंगाल	376	41
	सकल योग	**12127**	**610**

****